



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230403
CG-DL-E-14102021-230403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]
No. 591]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

संख्या 48/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 733(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, यथा-

सारणी

क्र. सं.	अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मानक दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल, चाहे डिगमड हो या नहीं	शून्य

2.	1507 90 10	सोयाबीन तेल, खाद्य ग्रेड	17.5%
3.	1511 10 00	कच्चा पाम ऑयल	शून्य
4.	1511 90	रिफाईंड ब्लिचेड डेओडोरिसेड (आरबीडी) पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्टीयरिन और कच्चे पाम तेल के अलावा कोई भी पाम तेल	17.5%
5.	1512 11 10	सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल	शून्य
6.	1512 19 10	सूरजमुखी तेल, खाद्य ग्रेड	17.5%

2. यह अधिसूचना 14 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/226/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

No. 48/2021-Customs

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the standard rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely –

TABLE

S. No.	Chapter or Heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1507 10 00	Crude Soya-bean oil, whether or not degummed	Nil
2.	1507 90 10	Soya-bean oil, edible grade	17.5%
3.	1511 10 00	Crude Palm Oil	Nil
4.	1511 90	Refined bleached deodorized(RBD) palm oil, RBD palmolein, RBD palm stearin and any palm oil other than crude palm oil	17.5%
5.	1512 11 10	Crude Sunflower seed oil	Nil
6.	1512 19 10	Sunflower oil, edible grade	17.5%

2. This notification shall come into effect on the 14th October, 2021, and will remain in force up to and inclusive of the 31st March, 2022.

[F. No. CBIC-190354/226/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.